भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4435
दिनांक 19 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

बाल दत्तक ग्रहण कानूनों में संशोधन

4435. श्री अक्षयवर लालः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दत्तक ग्रहण हेतु नियमों/ दिशा निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो उक्त दिशा-निर्देश कब तक जारी किए जाने की संभावना है;
(ग) क्या सरकार का स्थानीय स्तर पर उक्त दिशा-निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु कोई एजेंसी या नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : दत्तकग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक (किशोर न्याय विधेयक) 2018 के माध्यम से 16वीं लोकसभा में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम (किशोर न्याय अधिनियम) 2015 के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव लाया गया था । किंतु, यह विधेयक 16वीं लोक सभा के भंग होने के कारण रद्द हो गया है।

(ग) और (घ) वर्तमान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम (किशोर न्याय अधिनियम) 2015 में राज्य सरकारों को अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए बाल संरक्षण यूनिट का गठन करने का आदेश दिया गया है ।

*****